

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जसतार सिंह आदि बनाम दर्शन सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए नम्बर 149 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 260

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल
हुक्म

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सम्मत जारी
302
06/08/24

06.08.2024

वादी जसतार सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 49 जीजीए कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।

8/24

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पदाकाशन का राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रकरण पेशी में लिया जाकर खारिज करमाया जावे।

जसतार सिंह
दर्शन सिंह

अहकाम निई
पहचानकर्ता
[Signature]

वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA गेटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हुक्म हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर